for implementation of the scheme as the project report is to be slightly modified.

(b) The estimate of cost will be known only after the present estimate of Rs. 314.22 lakhs, received from the Tripura Administration, is recast in the light of the observations made by the Technical Advisory Committee.

(c) Towards the end of Fourth Five Year Plan.

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति

1678. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वित्त** मंत्री प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिशों के बारे में 10 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 249 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की रिपोर्ट के पैरा संख्या 8.89 में दी गयी सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है ; और क्या उसे भी संघ लोक-सेवा आयोग को भेजा गया था ; और

(ख) इस सम्बन्ध में संघ लोक-सेवा आयोग ने क्या राय दी और उस पर क्या निर्णय किया गया ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): (क) और (ख). प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति की सिफारिश पूरी तरह से नहीं मानी गयी थी। निचली श्रेणी के लिपिकों (क्लर्कों) की पदोन्नति करके उन्हें उच्च-श्रेणी के लिपिक बनाने के बारे में उनकी सिफारिश बिल्कुल ही नहीं मानी गयी। जहां तक उच्च-श्रेणी के लिपिकों की पदोन्नति करके उन्हें निरीक्षक (इंस्पेक्टर) बनाने का सम्बन्ध है, समिति की सिफारिश संशोधित रूप में स्वीकार कर ली गयी थी जिसके अनुसार पदोन्नति करने के लिये व्यक्तियों की तालिका बनाते समय कर्मचारी की वरिष्ठता और उसके परीक्षा पास करने की तारीख को भी ध्यान में रखा जाया करेगा। यह संशोधित सूत्र (फार्म्यूला) लागू कर दिया गया था, पर इसके लिए संघीय लोक-सेवा आयोग की सलाह नहीं ली गयी, क्योंकि ऐसा करना आवश्यक नहीं था। निरीक्षकों की पदोन्नति करके उन्हें द्वितीय श्रेणी (क्लास II) के आय-कर अधिकारी बनाने के सम्बन्ध में भी ऐसे ही सूत्र को अपनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था और इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव संघीय लोक-सेवा आयोग के पास भेजा गया था। लेकिन संघीय लोक-सेवा आयोग ने ऐसे सूत्र के विरुद्ध राय दी और वह प्रस्ताव, इसी कारण रद्द कर दिया गया।

Estate Duty Levy Assessment in U.P.

1679. Shri Rananjai Singh: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of cases involving assessment of levy of Estate Duty in U.P. which are more than 2 years old and have not been settled till the 15th September, 1964; and

(b) what measures have been or are proposed to be taken to expedite settlement of these pending cases?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): The required information is as under:

(a) 44 Cases.

(b) Instructions have been given to the assessing officers concerned to complete the cases pending over two years as early as possible.

कन्नौज में आयकर की वसूली

1680. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री राम सेवक यादव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्रुखाबाद जिले में स्थित कन्नौज कस्बे के निवासियों पर आय कर की बकाया राशि कितनी है ; और